शीर्ष प्राथमिकता/ समयबद्ध

संख्या-15 /2018/ए-1-1067/दस-2018-10(25)/2007

प्रेषक,

संजीव मित्तल,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक

कोषागार निदेशालय उ0प्र0,

1018- जवाहर भवन लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 07 सितम्बर , 2018

विषय : प्रदेश के 10 कोषागारों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ई- कुबेर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 2067/कम्प्यू0/150/ई-रिसीट/को0नि0/2018 दिनांक 28-08-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-11/2018/ए-1-683/दस-2018-10(25)/2007, दिनांक 07-06-2018, एवं संख्या-12/ 2018/ए-1-713/दस-2018-10(25)/2007, दिनांक 18-06-2018 द्वारा प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालयों के कोषागारों सहित कुल 21 कोषागारों में ई-कुबेर की व्यवस्था लागू की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 11 सितम्बर, 2018 से प्रदेश के 10 कोषागारों (1-जौनपुर,2- गाजीपुर, 3- चन्दौली, 4- मुजफ्फरनगर, 5- रामपुर, 6- जे0पी0नगर (अमरोहा), 7-बिजनौर, 8- सोनभद्र, 9- भदोही, 10- बुलन्दशहर) में ई-कुबेर की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 15/2018/ए-1-1067(1) / दस-2018-10(25)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर।

(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक/एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

(5) सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।

आज्ञा से,

पंकज सक्सेना

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in